

26/12/12 - 8

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

संस्थान एक सार्वजनिक अनुदानित महाविद्यालय है।
संस्थान का नाम जीवाजी विश्वविद्यालय है।
संस्थान का स्तर उच्च शिक्षा है।
संस्थान का स्तर उच्च शिक्षा है।



संस्था : जीवाजी विश्वविद्यालय
संस्था : जीवाजी विश्वविद्यालय
संस्था : जीवाजी विश्वविद्यालय

पंजीयन :
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
पंजीयन संख्या: 2009/5850

दिनांक: 22/12/12

// सूचना //


जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बन्धित एम.एस. एज्युकेशन कॉलेज, गुडीगुड का नाम ग्वालियर जो मंत्र 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के तहत प्रस्तावित-संघटित बी.एड. कार्यक्रम कक्षा-पाठ्यक्रमों/विषयों की अत्यावृत्ति सम्बन्धित हेतु अनुसंधानों प्राप्त करने के लिये राष्ट्रीय कुलपति सम्मेलन/समाधी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिच्छेद 27(10) के अन्तर्गत विद्यार्थीविकास निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. जे.एन. शौतम, कुलाधिपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442603)
- (2) डॉ. गणेश दुबे, एसोसिएट प्रोफेसर, विधि अध्ययनशाला जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (3) डॉ. देवू श्रीवास्तव, प्राचार्य, कोरवा महाविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति को सूचनाएं हैं कि वे परिच्छेद 27(10) के प्रावधानों के अनुसार महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वित्तीय गैरव्यय-व्यय-व्यय, प्रयुक्त संरचना से प्राप्त अनुभूति-कुलपति सम्मेलन-पत्र, भवन, कक्षा परिसर एवं पाठ्यक्रम-अभिलेख तथा पिछले एक से दो वर्षों की प्रति-मद प्रमाण पत्र के साथ प्राचार्य-गैरव्यय एवं प्रयुक्त-व्यय-व्यय की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण-अनुसंधानों प्रेषित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करावें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त निर्धारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिनों में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति मंत्र का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय लागू उत्तरदायी होगा। जिसका सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, गोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण नहीं कराता है तो समिति स्वतः विरह तो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को एक स्वरूप रु 25,000/- जमा करने का निर्देश देगा तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पूर्णतया किया जावेगा। परिच्छेद 27(1)(7) के अनुसार सम्बन्धित प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैध है।

निरीक्षण समिति को साथ सम्बन्धित शब्दों में कार्यवाही करनी है। कार्यवाही समाप्त पत्रावली लेकर जावेगी तब महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेगी। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देना होगा।


कुलपति

प्रतिलिपि :-

1. समाप्त सदस्यों की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर अग्रह है कि समिति के संयोजक से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण विनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिनों के अन्दर करने का आग्रह करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, उत्तरप्रदेश भवन, गोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बन्धित)